



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

पांच जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी महोदय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में दिनांक 19/20.11.2020 को थाना लहरपुर, रेउसा, मानपुर, तंबौर पुलिस ने कुल पांच जिला बदर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थानावार कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:-

कार्यवाही विवरण थाना लहरपुर

थाना लहरपुर पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र सुरेश नि० ग्राम रंगवा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर को ग्राम रंगवा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की जिला मजिस्ट्रेट महोदय सीतापुर द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र उपरोक्त को छः माह के लिये जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया था। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 513/2020 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम पंजीकृत कर मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 513/2020 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम थाना लहरपुर सीतापुर।

अभियुक्त का नाम/पता- वीरेन्द्र पुत्र सुरेश नि० ग्राम रंगवा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर

पुलिस टीम थाना लहरपुर - उ०नि० श्री बालकराम पाल , हे०का० काजी जमीर अहमद, हे०का० दिनेश सिंह

कोतवाली लहरपुर

जनपद सीतापुर



कार्यवाही विवरण थाना रेउसा

थाना रेउसा पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त बालगोविन्द पुत्र कर्ताकृष्ण निवासी ग्राम सिकरोहर कलां थाना रेउसा सीतापुर को ग्राम सिकरोहर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिला मजिस्ट्रेट महोदय सीतापुर द्वारा अभियुक्त बालगोविंद उपरोक्त को दिनांक 26.09.2020 से जिला बदर घोषित किया गया था। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 348/2020 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 348/2020 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम थाना रेउसा सीतापुर।

अभियुक्त का नाम/पता-

बालगोविन्द पुत्र कर्ताकृष्ण निवासी ग्राम सिकरोहर कलां थाना रेउसा सीतापुर

पुलिस टीम थाना रेउसा - उ0नि0 प्रदीप कुमार , का0 हेमंत चौधरी, का0 निपंद्र



कार्यवाही विवरण थाना मानपुर

थाना मानपुर पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त अबू सहमा उर्फ अब्बू शहमा पुत्र अशरफ अली नि0 बिसेंडी थाना मानपुर सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिला मजिस्ट्रेट महोदय सीतापुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जनपद की सीमा से छः माह के लिये निष्कासित किया गया था। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 364/2020 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 364/2020 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम थाना मानपुर सीतापुर।

अभियुक्त का नाम/पता- अबू सहमा उर्फ अब्बू शहमा पुत्र अशरफ अली नि0 बिसेंडी थाना मानपुर सीतापुर

पुलिस टीम थाना मानपुर - उ0नि0 श्री सतीश चंद्र, हे0का0 विमलेश द्विवेदी, का0 अखिलेश वर्मा, का0 प्रवेश कुमार, का0 विकल सिंह



कार्यवाही विवरण थाना तंबौर

थाना तंबौर पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त पंकज पुत्र झंडू 2.मुकेश पुत्र ताराचंद्र नि0गण ग्राम आलमपुर थाना तंबौर सीतापुर को जनपद की सीमा में पाये जाने पर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिला मजिस्ट्रेट महोदय सीतापुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जनपद की सीमा से छः माह के लिये निष्कासित किया गया था। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 346/20,347/20 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 346/2020 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम थाना तंबौर सीतापुर।
- मु0अ0सं0 347/2020 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम थाना तंबौर सीतापुर।

अभियुक्त का नाम/पता-

पंकज पुत्र झंडू नि0 ग्राम आलमपुर थाना तंबौर सीतापुर
मुकेश पुत्र ताराचंद्र नि0 ग्राम आलमपुर थाना तंबौर सीतापुर

पुलिस टीम थाना तंबौर - उ0नि0 श्री शेषनाथ सिंह, का0 अमन कुमार, का0 सोनू कुमार

